बिहार सरकार

उद्योग विभाग

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय)

आदेश

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत 2024-25 के लिए कैटेगरी-ए बी एवं सी के कुल 197 (सूची संलग्न) अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण कराया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 48 अति पिछड़ा वर्ग के 58, महिला उद्यमी वर्ग के 42 एवं युवा उद्यमी वर्ग के 49 लाभार्थी हैं। प्रशिक्षणोपरांत 197 लाभार्थियों को कुल स्वीकृत परियोजना लागत की राशि रु0 15,18,25,000.00 (रुपये पन्द्रह करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार) मात्र पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति हेतु निर्गत प्रक्रिया विवरणी के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत की राशि का अधिकतम रु0 2.00 लाख (परियोजना स्थल की तैयारी हेतु रु0 1.50 लाख + बिजली कनेक्शन एवं सेफ्टी किट हेतु रु0 25.00 हजार + अन्य मद में रु0 25.00 हजार) स्वीकृत किया जाना है।

संलग्न सूची के आधार पर संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने-अपने जिले से संबंधित लाभुकों का स्वीकृत्यादेश पोर्टल पर 03 (तीन) दिनों के अन्दर अपलोड करेंगे एवं उसी के आधार पर सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट (MMUY), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा लाभुकों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0- यथोपरि।

ह०/-

सहायक निदेशक,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 625 /पटना, दिनांक- 07/05/2026

सं0सं0- 4तक0/MMUY-2024-25/175/2024

प्रतिलिपिः-सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट (MMUY), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेषालय, बिहार, पटना/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/सभी सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय/संबंधित नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

06/05/26

सहायक निदेशक,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,

बिहार, पटना।